प्रकरण संख्याः– 66/2022

भैरू वगैरहा बनाम कालू वगैरहा

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
9/1/26	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी पेश किया गया। तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करने हेतु वादी अधिवक्ता द्वारा गत पेशी दिनांक 22.12.2025 को अपनी सहमती आदेशिका पर अंकित कर दी गई थी। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु कई मर्तबा अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने पर दिनांक 18.03.2025 को जवाब बंद किया जाकर पत्रावली साक्ष्यवादी हेतु नियत की गई। दिनांक 02.04.2025 को साक्ष्यवादी का शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्यवादी से प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जिरह नहीं करने से साक्ष्यवादी से प्रतिवादी जिरह दिनांक 12.05.2025 को बंद की गई। वादी द्वारा अन्य साक्ष्य पेश नहीं करे का अंकन आदेशिका पर दिनांक 06.05.2025 को किये जाने से साक्ष्यवादी बंद की गई। प्रतिवादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने पर वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि का विभाजन किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार पारित की गई थी तथा तहसीलदार भीलवाड़ा को हक हिस्से, कब्जे एवं मिट्स एण्ड बाउण्डस के अनुसार विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु दिनांक 19.06.2025 आदेशित किया गया था। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03.11.2025 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा कार्यालय के पत्रांक 3462 दिनांक 28.10.2025 से सूचना पत्र समस्त पक्षकारान् को जारी किया गया। सूचना पत्र पर वादी संख्या 01, प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के स्वयं के हस्ताक्षर है। वादी संख्या 02 की लगभग 1 वर्ष पूर्व फौत होना अंकित किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा वादीया संख्या 02 पन्नी बाई की मृत्यु होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व 151 जाब्ता दीवानी पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र एवं ग्राम भोपालगढ के नामान्तरण संख्या 2364 की प्रति पेश की। प्रस्तुत नामान्तरण के अनुसार वादीगण के पूर्वाधिकारी देवी पिता धन्ना की मृत्यु होने पर वादी संख्या 01 भैरू पुत्र देवा व वादीया संख्या 02 पन्नी पत्नी देवा बैरवा के नाम नामान्तरण स्वीकार किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि वादीया संख्या 02 पन्नी पत्नी देवा के वादी संख्या 01 भैरू पिता देवा बैरवा के अतिरिक्त अन्य कोई विधिक वारिस नहीं है। अतः वादीया संख्या 02 का नाम हजफ किया जावे एवं तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर अंतिम निर्णय/डिक्री पारित की जावे।	

9/1/26

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया। बहस का मनन एवं चिंतन किया गया। वादीया संख्या 02 के वादी संख्या 01 के अतिरिक्त अन्य कोई विधिक वारिसान नहीं होने से वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाता है और वादीया संख्या 02 का नाम लाल स्याही से हजफ किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव में मौके पर वादी संख्या 01 एवं प्रतिवादीगण उपस्थित रहे। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव में दो स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर है। प्रतिवादीगण को विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त दो अवसर दिये गये, परन्तु प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने से प्रतिवादीगण की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/आक्षेप बाबत् विभाजन प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए। विभाजन प्रस्ताव पर समूचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी किसी प्रकार की आपत्ति/आक्षेप प्राप्त नहीं होने से तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। निर्णय की अनुपालना में अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

9/1/26

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा०दी०)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. भैरू पिता देवा बैरवा आयु वयस्क निवासी भोपालगढ़ तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. पन्नी पत्नी देवा बैरवा आयु वयस्क निवासी भोपालगढ़ तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

–वादीगण

बनाम

1. कालू पुत्र रूपा बैरवा आयु वयस्क निवासी भोपालगढ तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. लादी पत्नी रूपा बैरवा आयु वयस्क निवासी भोपालगढ तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. अलोल पत्नी नारायण बैरवा आयु वयस्क निवासी भोपालगढ तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा

– प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

प्रकरण संख्या 66 / 2022 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार जोशी उपस्थित – इस वाद में आज तारीख 09.01.2026 को पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है–

तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव पर वादी एवं प्रतिवादीगण को समूचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी किसी प्रकार की आपत्ति / आक्षेप प्राप्त नहीं होने से तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

9/1/26

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा